



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12082025-265363
CG-MH-E-12082025-265363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2025/श्रावण 20, 1947

No. 560]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2025/SHRAVANA 20, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 11 अगस्त, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/254.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं (1क) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के तहत, प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में,-
 - विनियम 4 में, खंड (ग) में, उप-खंड (v) के बाद,
 - निम्नलिखित पहला परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि खंड (ग) के उप-खंड (i), (ii) और (iv) के प्रावधान उस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में लागू नहीं होंगे, जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार निवेश करता हो;”

- ii. दूसरे परंतुक में, शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्दों “कि ऐसे निवासी” से पहले, शब्द “और” जोड़ा जाएगा।

II. विनियम 22 में,

- i. उप-विनियम (1) में, खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इस खंड के प्रावधान उस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में लागू नहीं होंगे, जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार निवेश करता हो।”

- ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों “के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों” के बाद और शब्दों “और जिनका प्रत्यक्ष” से पहले चिह्न तथा शब्द “[उस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को छोड़कर जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार निवेश करता हो]” जोड़े जाएँगे।

- iii. उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इस उप-विनियम के प्रावधान उस विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में लागू नहीं होंगे, जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) में बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार निवेश करता हो।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./294/2025-26]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019, मूल विनियम, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/36, द्वारा 23 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 तत्पश्चात्,-
 - (1) 19 दिसम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2019/44, द्वारा
 - (2) 7 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2020/09, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (4) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - (5) 3 अगस्त 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2021/32, द्वारा
 - (6) 26 अक्टूबर 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2021/54, द्वारा

- (7) 14 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/ जी.एन./2022/64, द्वारा
- (8) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) विनियम 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99, द्वारा
- (9) 14 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/ 2023/128, द्वारा
- (10) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- (11) 10 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/143, द्वारा
- (12) 3 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/183, द्वारा
- (13) 26 जून, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/185, द्वारा
- (14) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम 2025, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th August, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F.No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/254.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) of sub-section (2) of section 11 and sub-sections (1) and (1A) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), and under Section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the one hundred eightieth day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, –
 - I. In regulation 4, in clause (c), after sub-clause (v),
 - i. the following first proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the provisions of sub-clauses (i), (ii) and (iv) of clause (c) shall not be applicable to foreign portfolio investor who invests only in Government Securities, in accordance with the conditions as may be specified by the Board from time to time.”;
 - ii. in the second proviso, after the word “Provided” and before the word “that”, the word “further” shall be inserted.
 - II. In regulation 22,
 - i. in sub-regulation (1), after clause (1), the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the provisions of this clause shall not be applicable to foreign portfolio investor who invests only in Government Securities, in accordance with the conditions as may be specified by the Board from time to time.”

- ii. in sub-regulation (3), after the words “registered as foreign portfolio investors” and before the words and symbol “and directly or indirectly,”, the words and symbol “other than foreign portfolio investor who invests only in Government Securities, in accordance with the conditions as may be specified by the Board from time to time,” shall be inserted.
- iii. in sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely, –
 “Provided that the provisions of this sub-regulation shall not be applicable to foreign portfolio investor who invests only in Government Securities, in accordance with the conditions as may be specified by the Board from time to time.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./294/2025-26]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 23, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/36).
2. The Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 were subsequently amended on –
 - (1) 19th December, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/44.
 - (2) 7th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2020 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2020/09.
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (4) 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (5) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/32.
 - (6) 26th October, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/54
 - (7) 14th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/64
 - (8) 9th November, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/99
 - (9) 14th March, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/128.
 - (10) 3rd July, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - (11) 10th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/143
 - (12) 3rd June, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/183.
 - (13) 26th June, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/185.
 - (14) 10th February, 2025, by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.